मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापन

क्रमांक 1224-764-1-3-65. भोपाल, दिनांक 17 जून 1965—27 ज्येष्ठ, 1887.

प्रति,

शासन के सब विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,
सब संभागीय आयुक्त,
सब विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाधीश,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांच.

यह देखा गया है कि ऐसे शासकीय सेवक के विरुद्ध जो, कि किसी एक शासकीय विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर है, विभागों द्वारा विभागीय जांच के मामलों में समान प्रक्रिया प्रयुक्त नहीं होती. ऐसे मामलों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से, शासन द्वारा निम्नलिखित निर्देश देने का निश्चय किया है :—

(1) जहां. अभियोग या दोषारोपण प्रतिनियुक्ति वाले विभाग से संबंधित कृताकृतों के बारे में हो, विभागीय जांच उसी विभाग द्वारा की जानी चाहिए, जिसने संबंधित शासकीय सेवक की सेवाएं प्राप्त की हों, किन्तु साथ ही जिस विभाग से उसकी सेवाएं प्राप्त की हों उस विभाग को भी जांच के मामले में की गई प्रगति से अवगत करते रहना चाहिए. जांच पूरी होने पर अंतिम आदेश सेवा प्राप्त करने वाले विभाग या अधिकारी द्वारा, ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें बर्खास्तगी, नौकरी से पृथक् किया जाने या पदावनति का दण्ड दिया जाना प्रस्तावित हो, दिये जा सकेंगे. ऐसे मामलों में जिनमें उपर्युक्त तीन दण्डों में से कोई दण्ड दिया जाना आवश्यक प्रतीत हो, सेवा प्राप्त करने वाला विभाग या अधिकारी संबंधित शासकीय सेवक की सेवाएं मुख्य विभाग को या मुख्य अधिकारी को लौटा दें. संबंधित विभाग या अधिकारी, **जब तक** कि सभी घटक राज्यों में प्रचलित वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियमों का नये मध्यप्रदेश में एकीकरण नहीं हो जाता तब तक, सम्बद्ध नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार आगे की आवश्यक कार्यवाही करेंगे तथा की गई कार्यवाही की सूचना प्रतिनियुक्ति के विभाग या अधिकारी को देंगे.

(2) जहां आरोप उन कृताकृतों से संबंध रखते हैं जो प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा तब किये हों जबकि वह मुख्य विभाग में काम कर रहा था, और यदि ऐसा प्रतीत हो कि प्रतिनियुक्ति वाले विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रकण की पूरी परिस्थिति की जानकारी के अभाव में विभागीय जांच करने में कठिनाई हो रही है तो उसे मुख्य विभाग में पुन: स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए अन्यथा ऐसे प्रकरणों में भी उपयुक्त कंडिका 1 में प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जगत स्वरूप,
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.